 नवीन प्र. 3725/14

(480)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R 3725-II/14

दिनांक 10-11-14 को श्री एस. के. बाजपेयी अभि० द्वारा प्रस्तुत।
10-11-14
SO

1. विद्यादेवी पत्नी छिन्दे सिंह
2. वीरेन्द्र सिंह पुत्र छिन्दे सिंह

निवासी ग्राम रैपुरा तहसील पोरसा जिला–मुरैना

विरूद्ध

1. कांता देवी पत्नी स्व.श्री किशन सिंह ठाकुर

निवासी –एडवोकेट कॉलोनी अम्बाह जिला–मुरैना

2. शिम्बू सिंह पुत्र गजाधर सिंह
3. राजकुमार
4. प्रदीप सिंह पुत्र स्व.श्री किशन सिंह

समस्त जाति ठाकुर निवासी–ग्राम एडवोकेट कॉलोनी अम्बाह जिला–मुरैना म.प्र.

5. रानी देवी पत्नी प्रहलाद सिंह
6. कलियान सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
7. सुनील सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
8. रंजीत सिंह
9. राहुल सिंह
10. रोहित
11. रॉकी पुत्रगण सोहन सिह जाति ठाकुर

समस्त निवासी ग्राम रैपुरा तह.पोरसा

12. वीरेन्द्र सिंह पुत्र टुण्डे सिंह

जाति ठाकुर निवासी मझारी जिला–भिण्ड

10-11-2014

अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह कैम्प पोरसा द्वारा प्रकरण क्रमांक 139/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–09–2014 के पुनरीक्षण हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है–

1. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी का विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, तहसीलदार न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाहीं करने के पश्चात आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा को साक्षीयों के कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार परं प्रमाणित मानते हुये नामांतरण करने के आदेश दिये गये थे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील जो समयवाधित थी उसे ग्रहाय करने तथा उसमें स्थगन आदेश प्रदान करने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है.

3. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी को उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में सर्वप्रथम अनावेदक क्रमांक–1 द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान के आवेदन पत्र तथा अपील अनुमति के आवेदन पत्र पर आवेदकगण को सूचना एवं सुनवायी को अवसर प्रदान करते हुये ही आगे कार्यवाहीं करना चाहिये थी जब उनके समक्ष अवधि विधान के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन तथा अनुमति का आवेदन पत्र था तब उन्हें स्थगन आदेश देने के पूर्व सर्वप्रथम उक्त आवेदनो का निराकरण करना चाहिये था इस कारण से ही अनुविभागीय अधिकारी महोदय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही है.

4. यह कि, अनावेदिका का उपरोक्त भूमि पर किसी भी प्रकार कोई स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं है यदि अनावेदिका का उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार से कोई स्वत्व है तो उसे अपने स्वत्वों के निराकरण हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाहीं करना चाहिये थी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दू पर विचार किय बिना अनावेदिका

XXIX(a)-BR(H)-11

(480)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3725-दो/14 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	